कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–व–15 ख (73) अप.शा./विधि/2012/ 2278-2368 दिनांक : 06-3-2014

परिपत्र

अनुसंधान अधिकारियों द्वारा काम में ली जा रही केस डायरी के संबंध में इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक व–15 ख (73) अप.शा./विधि/2012/11206–56 दिनांक 04.12.2012 एवं संशोधित परिपत्र क्रमांक 243–93 दिनांक 08.01.2013 के क्रम में उल्लेखनीय है कि केस डायरी के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 की उपधारा 1 के बाद निम्न उपखण्ड दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 के द्वारा अन्तर्स्थापित किए गए हैं :–

"(1–क) धारा 161 के अधीन अनुसंधान के दौरान अभिलेखित गवाहों के बयान केस डायरी में अन्तर्स्थापित किए जाएंगे।

(1–ख) उपधारा (1) में वर्णित डायरी वॉल्यूम और सम्यक् रूप से पेजीनेटेड होगी।"

उक्त उपबन्धों की पालना हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. केस डायरी समुचित गुणवत्ता के कागज की 50 पृष्ठ की, प्रत्येक पृष्ठ दो प्रति (डुप्लीकेट) की एक जिल्द तैयार होगी।
2. प्रत्येक केस डायरी के जिल्द के प्रत्येक पृष्ठ का संख्यांक (Number) 1 से 50 दो प्रतियों में होगा।
3. प्रत्येक केस डायरी के जिल्द (वोल्यूम) पर अद्वितीय कोड (Unique Code) होगा। जो इस क्रम में होगा, प्रिंटिंग का वर्ष/जिल्द (Volume) संख्या/पेज नम्बर।
4. प्रत्येक केस डायरी के जिल्द (वॉल्यूम) में पृष्ठों के अतिरिक्त एक विवरणिका निम्न प्रोफार्मा में छपी हुई होगी।

निर्गमन – 1. अनुसंधान अधिकारी का नाम..
2. पद ....
3. थाना..जिला..
4. वृताधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त..
5. अति0 पुलिस अधीक्षक/अति0 पुलिस उपायुक्त..

पृष्ठ संख्या	अभियोग संख्या	केस डायरी नम्बर

5. केस डायरी दो प्रति में लिखी जाएगी तथा अधिक प्रतियों की आवश्यकता होने पर उसकी फोटो प्रतिलिपि/हस्त लिखित नकल बनाई जावेगी। जो अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जाएगी।

6. प्रत्येक अनुसंधान अधिकारी को एक समय में दो केस डायरी जिल्द (वाल्यूम) जारी की जाऐगी। जो अनुसंधान अधिकारी द्वारा विभिन्न अभियोगो के अनुसंधान में काम में ली जाऐगी।सामान्यतः एक वाल्यूम के समाप्त होने पर अनुसंधान अधिकारी दूसरी वाल्यूम का उपयोग करेगा।

7. यदि केस डायरी वॉल्यूम का कोई पृष्ठ किसी कारण से खराब हो जाए तो उसे नष्ट किया जाएगा एवं नष्टीकरण बाबत केस डायरी जिल्द के विवरणिका में पृष्ठ संख्या के आगे अंकन किया जाएगा।

8. केस डायरी का प्रत्येक वॉल्यूम काम में आने के बाद पूर्तिशुदा विवरणिका (index) सहित अनुसंधान अधिकारी थाना के हैडमोहर्रिर के मार्फत जिला स्टोर को जमा कराएगा व नया वॉल्यूम प्राप्त करेगा। अनुसंधान अधिकारी यथासंभव हर समय एक वॉल्यूम रिजर्व में रखेगा।

9. अनुसंधान अधिकारी मुकदमे से संबंधित व्यक्तियों के बयान केस डायरी में भी अन्तर्रस्थापित करेगा।

उपरोक्तानुसार पेजीनेटेड केस डायरी वॉल्यूम उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर को निर्देशित किया जा रहा है। अतः केन्द्रीय भण्डार, जयपुर से केस डायरी वॉल्यूम प्राप्त कर तद्नुसार पालना सुनिश्चित कराएं।

(अजीत सिंह)
अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा, राज., जयपुर।

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना एवं कल्याण राज0 जयपुर को उपरोक्तानुसार केस डायरी मुद्रण की व्यवस्था कराने हेतु प्रेषित है।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स/ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी./सी.आई.डी.(वि.शा.)/ रेल्वेज जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर,
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेंज राजस्थान मय जी.आर.पी. जयपुर।
5. महानिरीक्षक पुलिस, ए.टी.एस./एस.ओ.जी./एस.एस.बी./सी.बी. जयपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, (केन्द्रीय भण्डार) पुलिस मुख्यालय, राज0 जयपुर को उपरोक्तानुसार केस डायरी मुद्रण एवं वितरण की व्यवस्था हेतु।
7. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण, राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।
9. समस्त पुलिस अधीक्षकगण सी.आई.डी. (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर/पुलिस अधीक्षक ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी./सी.आई.डी. (सुरक्षा) जयपुर।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सी.बी.), रेंज सैल जयपुर/जोधपुर/अजमेर/ बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/कोटा।
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डिस्कॉम जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
12. प्रभारी, पुलिस वेबसाईट, एस.सी.आर.बी. आर.पी.ए. परिसर, जयपुर।
13. प्रभारी पुलिस मुद्रणालय, आर.पी.ए. परिसर जयपुर।
14. गार्ड पत्रावली।

अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा, राज., जयपुर।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः--व–15 ख (73)अ.शा./विधि/12/ 11206-56 दिनांकः-- 4-12-2012

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि राजस्थान पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान नवीनतम प्रावधान धारा 172 (बी) द. प्र. सं. की पालना नहीं की जा रही है। धारा 172 (बी) द. प्र. सं. में यह प्रावधान किया गया है कि अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी वोल्यूम व सम्यक रूप से पेजीनेटेड होगी।

लेकिन वर्तमान में अनुसंधान अधिकारियों द्वारा जो केस डायरी काम में ली जा रही है, वह लूज व बिना पेजीनेटेड की है। जो किसी अधिकृत प्राधिकारी के द्वारा जारी नहीं की जा रही है। जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत है।

इस परिपत्र द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ अनुसंधान अधिकारी धारा 172 (बी) द. प्र. सं. की अक्षरशः पालना करें।

30.11.12

(सवाई सिंह)
पुलिस अधीक्षक,(अन्वेषण),
सी.आई.डी. (अपराध शाखा),
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
3. समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।

30.11.12

पुलिस अधीक्षक,(अन्वेषण),
सी.आई.डी. (अपराध शाखा),
राजस्थान, जयपुर।

(2)

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः—व—15 ख (73)अ.शा./विधि/12/ 243-93 दिनांकः—8-1-13

संशोधित परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक व—15 ख (73) अ.शा./विधि/12/11206—56 दिनांक 04.12.2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसमें सहवन से धारा 172 (वी) लिखा गया था। अतः पुनः संशोधित परिपत्र निम्नानुसार प्रेषित है।

प्रायः यह देखा गया है कि राजस्थान पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान नवीनतम प्रावधान धारा 172 (1—बी) द. प्र. सं. की पालना नहीं की जा रही है। धारा 172 (1—बी) द. प्र. सं. में यह प्रावधान किया गया है कि अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी वाल्यूम व सम्यक रूप से पेजीनेटेड होगी।

लेकिन वर्तमान में अनुसंधान अधिकारियों द्वारा जो केस डायरी काम में ली जा रही है, वह लूज व बिना पेजीनेटेड की है। जो किसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी नहीं की जा रही है। जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत है।

इस परिपत्र द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ अनुसंधान अधिकारी धारा 172 (1—बी) द. प्र. सं. की अक्षरशः पालना करें। पालना रिपोर्ट से इस कार्यालय को अवगत करावें।

7.1.13
पुलिस अधीक्षक,(अन्वेषण),
सी.आई.डी. (अपराध शाखा),
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
3. समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।

7.1.13
पुलिस अधीक्षक,(अन्वेषण),
सी.आई.डी. (अपराध शाखा),
राजस्थान, जयपुर।